

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड

उपार्जन हेतु किसान पंजीयन फॉर्म (KMS 2024-25)

उपार्जन केन्द्र का नाम :-		उपार्जन केन्द्र क्रमांक :-
1. ग्राम का नाम :-		जिला :-
2. किसान का नाम :-		लिंग :-
3. किसान के पिता/पति का नाम :-		किसान कोड :-
4. मोबाइल सं० :-		प्रखण्ड :-
5. वर्ग (SC/ST/OBC/GENERAL) :-		ग्राम पंचायत :-
6. स्वयं की क्रष्णपुस्तिका क्रमांक/वन अधिकार पट्टा नंबर (यदि है तो) :-		
7. आधार संख्या :-		
8. मतदाता पहचान संख्या (EPIC No.) :-		
9. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) (यदि है तो) :-		
10. किसान के बैंक का नाम :-		
11. बैंक शाखा का नाम :-		
12. किसान का बैंक खाता संख्या :-	IFSC :-	

13. (क). भूमि के स्वामित्व के अनुसार प्रकार (Own/ Rent/ Lease) :-

(ख). किसान के खाते की भूमि का विवरण

14 किस विधि को उपज दिया जाना संभावित है :-

15. स्वाधीष्टण :-

मैं पिता/पति.....उम्र यह सत्यापित करता/करती हूँ कि मैं झारखण्ड का किसान हूँ और उपरोक्त पंजीयन फार्म में दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य है। यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपने जमीन का पंजीयन अन्य किसी खरीदी कोन्ट्रैट पर नहीं कराया है। मैं सहमत हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त केन्द्र पर दी गयी फसल के लिए भुगातान उपरोक्त कंडिका 12 में दिये गये बैंक खाते में सीधे जमा की जाए।

किसान का हस्ताक्षर / अंगठा

दिनांक :-

16. नोट :-

- पंजीयन केन्द्र पर पंजीयन होने के बाद आपको एक प्रावधानिक रसीद तुरंत दी जाएगी, जिसमें किसान का यूनिक आवेदन क्रमांक व उसका उपार्जन केन्द्र अंकित रहेगा।
 - उपार्जन अवधि के दौरान गांव के लिए निधारित सर्विस एरिया में खरीदी केन्द्रों पर आने की तिथि का एस०एम०एस० अलर्ट किसान को यथासमय प्राप्त होगा।
 - किसान को आधार कार्ड की छायाप्रति, अद्यतन बैंक पासबुक की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति एवं जमीन संबंधी कागजात पंजीयन फर्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
 - CO/SDM अपने निर्धारित प्रतिशेष का सत्यापन कर हस्ताक्षर करेंगे।
 - Rent/Lease के भूमि हेतु निवंधन कराने वाले किसान को भूमि के मालिक के साथ लीज/रेंट एकरानामा की प्रति जमा करना होगा, जिसका सत्यापन अंचल कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

अंचल कार्यालय द्वारा भरा / ऑनलाईन सत्यापन किया जायेगा

1. अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापन की जानकारी

2. * किसान का भूमि के अनुसार प्रकार (Marginal/Small/Semi Medium/Medium/Large)

हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर

CO का हस्ताक्षर

Marginal	Small	Semi Medium	Medium	Large	Total
< 1 hectare	1-2 hectare	2-4 hectare	4-10 hectare	> 10 hectare	
< 2.471 acres	2.471 - 4.942 acres	4.942 - 9.884 acres	9.884 - 24.71 acres	> 24.71 acres	

जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा भरा जायेगा

1. किसान कोड :—
2. अधिप्राप्ति / उपार्जन केन्द्र का नाम :—
3. अधिप्राप्ति / उपार्जन केन्द्र क्रमांक :—
4. प्रखण्ड का नाम :—

जिला आपूर्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर